फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2023/143 बअनवान भंवर कंवर वगैरा बनाम खुमाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19.02.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 25 सुखी पुत्री भूताराम जाति सीरवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी बाबत इस न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 2021/395 में रास्ते बाबत दिनांक 14.12.2021 को पारित आदेश को अपास्त किये जाने के संबंध में उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थीया (अप्रार्थी संख्या 25) के अधिवक्ता द्वारा दलील दी गई कि प्रार्थीया (अप्रार्थी संख्या 25) सुखी पुत्री भूताराम की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 1219 रकबा 6.89 हैक्टर किस्म चाही अव्वल में से न्यायालय द्वारा प्रार्थीया को बिना सूचना, नोटिस के दिनांक 14.12.2021 को आदेश पारित करते हुये रास्ते के आदेश पारित किये गये जो आदेश बिना तामील के तथा बिना सुनवाई के पारित होने से आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रावधानों के तहत आदेश को अपास्त किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरीत उक्त प्रकरण के अप्रार्थी तथा पूर्व निर्णीत मूल प्रकरण के प्रार्थीगण भंवर कंवर के अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान द्वारा बहस में प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों का खंडन करते हुये दलील दी गई कि न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जिसका कोई ऐतराज अप्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया तथा तहसीलदारजी ने मौका रिपोर्ट तैयार की उस समय भी कोई ऐतराज नहीं किया गया इसके साथ ही तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका देखा गया तथा मौके पर रास्ता(सेरिया) पूर्व से चालू होने से रास्ते बाबत आदेश पारित किये गये। प्रशासन गांवों के संग कैम्प में भी प्रार्थीगण भंवर कंवर वगैरा ने रास्ता अवरूद्ध करने का कहा जिस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारीजी ने पूरी टीम सहित मौके का मुआयना किया व रास्ता चालू पाया, रास्ते के कुछ अंतिम छोर पर अवरूद्ध होना पाया तब ही निर्णय पारित किया गया। अप्रार्थीगण कैम्प में भी हाजिर हुये थे लेकिन कोई ऐतराज पेश नहीं किया। वकील श्री हनुमानसिंह चौहान ने अंत में दलील दी गई कि न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश में वर्णित खसरा नंबर 1219 के सहखातेदारान 26 होने से उन सभी को पक्षकार बनाते हुये आदेश पारित किया था जिसमें से एक सहखातेदार सुखी द्वारा उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है जो प्रॉपर फार्म में नहीं होने से विधिक प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं होने तथा प्रार्थीगण भंवर कंवर वगैरा द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में प्रतिकर राशि 54500/-रूपये भी राजकोष में जमा करवाये जा चुके है तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता तरमीम भी किया जा चुका है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी। विद्वान वकील (प्रार्थीया भंवर कंवर) श्री हनुमानसिंह चौहान ने दलीलों के समर्थन में गणपतसिह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह जाति राजपूत निवासी मुण्डारा का शपथ पत्र भी पेश किया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थीया (अप्रार्थी संख्या 25 सुखी पुत्री भूताराम) को बिना नोटीस तामील, सूचना व सुनवायी का अवसर दिये बिना	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख [illegible] जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	ही रास्ते का आदेश पारित हुआ है। जिससे प्रार्थीया के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के न्याय का हनन हुआ है। अतः वकील प्रार्थीया (अप्रार्थी संख्या 25 सुखी पुत्री भूताराम) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2021/395 बअनवान भंवर कंवर वगैरा बनाम खुमाराम वगैरा में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2021 को अपास्त कर प्रकरण को रेस्टोर (पुनः बरामद) कर पुनः नये नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर पूर्व निर्णीत पत्रावली के संलग्न हो।	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *